।।बेटी बचाओ अभियान।।

समाज मे घटते लिंगानुपात को दृष्टिगत रखते हुये म0प्र0 शासन द्वारा बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच एवं वातावरण निर्माण हेतु बेटी बचाओ अभियान प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में वर्ष 2001 की जनगणना के आंकडो के अनुसार लिंगानुपात 932 था जबकि 2011 मे लिंगानुपात घटकर 912 हो गया जो चिंताजनक है। प्रदेश के साथ–साथ अशोकनगर जिले का लिंगानुपात भी घटकर 875 रह गया है।

बेटी बचाओ अभियान अतंर्गत अशोकनगर जिले में दिनांक 05.10.2011 को 22 ऐसे दम्पतियों का सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया जिन्होने 1 बेटी या 2 बेटी पर ही परिवार नियोजन का स्थाई साधन अपना लिया है जिले मे सर्वे कराने पर ऐसे परिवारो की संख्या क्रमांशः 53 एवं 106 पाई गई।

दिनॉक 06.06.2012 को जिला मुख्यालय के साथ–साथ ग्राम स्तर तथा वृहद स्तर पर रैली आयोजित की गई। जिला प्रशासन द्वारा बेटी बचाओ अभियान में एक नवाचार किया गया है। जिसमें जिले में ऐसी दम्पत्तियो को लक्ष्मी सम्मान पत्र प्रदाय कर सम्मानित किया जाता है। दिनांक 15.10.2012 से सम्मान किया जाना प्रारंभ किया गया है।

जिला प्रशासन, अशोकनगर

पंजीयन क्रमांक ....

लक्ष्मी सम्मान–पत्र

प्रति,

श्रीमान/श्रीमति ....

पता ....

.... तहसील ....

जिला अशोकनगर (म.प्र.)

दिनांक .... को आपके परिवार में

लाड़ली बेटी के जन्म पर आपको
जिला प्रशासन की ओर से

बधाई

जिन्दगी में रंग भरती हैं बेटियाँ

महिलाओं के हित में

कानून

1. गर्भधारण और पूर्व प्रसव पूर्व निदान (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1996
2. महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रताड़ना कानून।
3. अनु. जाति/जनताति महिला को गैर अनु. जाति/जनजाति वर्ग से उत्पीड़न पर सहायता।
4. त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 50 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व।
5. शासकीय सेवाओं में महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत आरक्षण।
6. तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में अध्ययन के लिये प्रवेश हेतु महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण।

आपको विशेष सुविधायें

माता/पिता
का फोटो
यहाँ चिपकायें

1. तत्काल निःशुल्क जन्म प्रमाण-पत्र का प्रदाय।
2. डायवर्सन में प्राथमिकता।
3. बन्दूक लायसेन्स में प्राथमिकता।
4. पासपोर्ट में प्राथमिकता।
5. समाधान केन्द्र के सेवाओं में और भी त्वरित निराकरण। जाति प्रमाण-पत्र 3 दिन में, आय/निवास शपथ-पत्र देने के 3 घंटे में।
6. बीपीएल आवेदन के प्रक्रिया में प्राथमिकता।
7. सीमांकन प्रकरण में प्राथमिकता।
8. राज बीमारी सहायता योजना एवं अन्य शासकीय योजनाओं में प्रक्रिया में प्राथमिकता एवं त्वरित निराकरण।
9. वाहन लायसेन्स में प्राथमिकता।
10. पात्रतानुसार लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत तत्काल लाभ।

सम्पर्क करें- कलेक्ट्रेट कार्यालय, अशोकनगर
फोन : 222800, 220103 फैक्स : 07543-225510
www.ashoknagar.nic.in
में जानकारी प्राप्त करें।

महिलाओं के हित में

योजनायें

1. **लाड़ली लक्ष्मी योजना**

   ✲ योजनान्तगर्त बालिका के नाम से पंजीकरण के समय से लगातार पांच वर्षो तक प्रति वर्ष रु. 6000.00 अर्थात् कुल रु. 30,000.00 के राष्ट्रीय बचत पत्र।

   ✲ बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 2000 कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर 4000, कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर 7500 एक मुश्त राशि का भुगतान। कक्षा 11 में प्रवेश लेने के पश्चात आगामी 2 वर्षो तक रु. 200.00 प्रतिमाह का भुगतान।
2. **उषा किरण योजना –** ✲ महिला संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2006 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिला को संरक्षण एवं सहायता का अधिकार।
3. **निःशुल्क गणवेश योजना –** ✲ प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत अनु. जाति/ जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब तबके की छात्राओं को निःशुल्क गणवेश का वितरण।
4. **उच्च शिक्षा ऋण गारंटी–** उच्च शिक्षा हेतु बैंक से रु.4 लाख तक ऋण प्राप्त करने में प्रशासन द्वारा सहयोग।
5. **गांव की बेटी योजना–** ✲ गांव की निवासी छात्र द्वारा कक्षा 12 में प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण कर उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा के महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर रु. 5000.00 प्रति वर्ष छात्रवृति तथा प्रावधान अनुसार शिक्षण शुल्क में छूट।
6. **कन्या साक्षरता योजना –** ✲ कक्षा 5, 8 एवं 10 वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में नियमित रुप से प्रवेश लेने पर छात्राओं को रु. 500, रु. 1000 एवं रु. 3000 की प्रोत्साहन राशि।
7. **मुख्यमंत्री कन्यादान योजना–** ✲ गरीब एवं जरुरतमंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की कन्या को सामूहिक विवाह के माध्यम से रु. 13000 की गृहस्थी की सामग्रीयों का प्रदाय।
8. **जननी सुरक्षा योजना–** शासकीय अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रु. 1400 एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को रु. 1000 का भुगतान।

बेटी है तो कल है
सार्थक जीवन का यही हल है